# निदेशक मंडल के सदस्यगणों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता की

# आचार-संहिता का मॉडल

## 1.0 परिचय:

1.1 यह संहिता डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात "दि कंपनी" के रूप में संदर्भित है) के "निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता की आचार-संहिता के मॉडल" के रूप में जानी जाएगी।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों की प्रबंधन प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता को बढ़ाना है।

1.3 निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु यह संहिता विशेष रूप से शेयर बाज़ार के साथ सूची अनुबंध की धारा 49 के प्रावधानों के अनुपालन एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है।

1.4 यह दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी होगी।

## 2.0 परिभाषा एवं विवेचन:

2.1 परिभाषित शब्द "निदेशक मंडल के सदस्यों" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकगणों से होगा।

2.2 परिभाषित शब्द ''पूर्ण कालिक निदेशकों अथवा कार्यात्मक निदेशकों'' का आशय निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है जो कि कंपनी के पूर्ण कालिक नियोजन में हैं।

2.3 परिभाषित शब्द ''अंशकालिक निदेशकों'' का आशय निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है जो निदेशक मंडल के पूर्ण कालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.4 परिभाषित शब्द ''रिश्तेदार'' का वही समान अर्थ होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है।

2.5 परिभाषित शब्द ''वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक'' का अर्थ कंपनी के उन कार्मिकों से है जो कोर प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, निदेशक मंडल के सदस्यों को छोडकर तथा इसमें प्रबंधन के वे सभी सदस्य होंगे जो कि कार्यात्मक प्रमुखों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे के हैं।

- ''दि कंपनी'' के संदर्भ में सभी समूह महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (केवल कार्यात्मक प्रमुख) शामिल है।

2.6 परिभाषित शब्द ''दि कंपनी'' का अर्थ डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से है।

**नोट:** इस संहिता में पुल्लिंग कहलाने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग को शामिल किया जाएगा एवं एकवचन कहलाने वाले शब्दों मे बहुवचन शामिल होंगे अथवा इसी प्रकार विपरीत क्रम में।

## 3. प्रासंगिकता:

3.1 यह आचार–संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगीः

(अ) कंपनी के प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए सभी पूर्ण–कालिक निदेशकगण।

(ब) कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित करते हुए सभी अंश–कालिक निदेशकगण।

(स) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक।

**3.2** पूर्ण–कालिक निदेशकगण / अंशकालिक निदेशकगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, को कंपनी के अन्य लागू योग्य / लागू होने वाली नीतियों, नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन जारी रखना चाहिए।

## 4. संहिता की विषय वस्तु:

**भाग I** सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं

**भाग II** विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

**भाग III** निदेशक मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्ति प्रावधान

इस संहिता का उद्देश्य व्यावसायिक कार्यो के आचरण में नैतिकता पूर्ण निर्णयों के लिए एक आधार / निर्देशिका के रूप है। यह संहिता व्यावसायिक नैतिकता के मापदण्डों के उल्लंघन से संबंधित एक औपचारिक शिकायत के गुण–अवगुण के सबंध में निर्णय हेतु एक आधार / निर्देशिका के रूप में भी कार्य कर सकती है।

यह पहले से ही मान लिया गया है कि नैतिकता एवं आचरण संहिता दस्तावेज में कुछ शब्द एवं वाक्यांश इनकी व्याख्या में परिवर्तन के अधीन है। किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में, निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

**भाग- I**

**5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं:**

**5.1 समाज एवं मानव उत्थान में योगदान देना:**

**5.1.1** यह सिद्धान्त सभी लोगों की जीवन गुणवत्ता से संबंधित मूल मानवाधिकारों की रक्षा के दायित्वों एवं विभिन्न संस्कृति की विविधता का सम्मान करने की अभिपुष्टि करता है। हमें

यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों से प्राप्त फल का सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्यों में उपयोग किया जाएगा जिससे कि सामाजिक आवश्कताएं पूरी होंगी तथा अन्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकेगा। एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त मानव कल्याण के कार्यों में एक सुरक्षित प्राकृतिक पर्यावरण भी सम्मिलित है।

**5.1.2** अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य गण एवं वरिष्ठ प्रबंधन जो कि कंपनी के उत्पादों की डिजाइन, विकास, निर्माण एवं प्रसार को बढावा देने के लिए जवाबदेह हैं, को सचेत रहना चाहिए तथा अन्य को मानव जीवन एवं पर्यावरण के बचाव एवं संरक्षा के लिए कानूनी तथा नैतिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करें।

**5.2 ईमानदार एवं विश्वासपात्र हों तथा सत्यनिष्ठा का अभ्यास:**

**5.2.1** सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी विश्वास के अति आवश्यक घटक हैं। एक संस्थान / संगठन बिना विश्वास के प्रभावशाली रूप में कार्य नहीं कर सकता।

**5.2.2** निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन से अपेक्षित है कि वे सार्वजनिक उद्यम के व्यवसाय के दौरान व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं नैतिकता पूर्ण आचरण के उच्चतम मापदण्डों के अनुसार कार्य करें।

**5.3 निष्पक्ष हो कर एवं बिना भेदभाव के कार्रवाई करें**

**5.3.1** समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान तथा समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के मूल्य इस अनिवार्यता को नियंत्रित करते हैं। प्रजाति, लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीयता अथवा ऐसे घटकों के आधार पर भेदभाव किया जाना, इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

**5.4 गोपनीयता का सम्मान**

**5.4.1** ईमानदारी के सिद्धान्त सूचनाओं की गोपनीयता के विषयों तक विस्तारित होते हैं। नैतिक चिंता का विषय, सभी हितधारकों को गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करना है, जब तक कि कानून की अपेक्षाओं अथवा इस संहिता के अन्य सिद्धान्तों द्वारा ऐसे दायित्वों से मुक्त नहीं कर दिया जाता।

**5.4.2** अतः, निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों को व्यवसाय एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के मामलों में सभी अप्रकाशित गोपनीय सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए।

**5.5 प्रतिज्ञा एवं अभ्यास:**

**5.5.1** गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।

**5.5.2** जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अधिक से अधिक निरंतर कार्य करना।

**5.5.3** सतर्क रहना तथा कंपनी की प्रतिष्ठा एवं प्रगति के लिए कार्य करना।

**5.5.4** संस्था के लिए गौरव प्राप्त करना तथा कंपनी के हितधारकों को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करना।

**5.5.5** अपने कर्तव्यों का निर्वाह अंतःकरण से एवं बिना किसी भय अथवा पक्षपात के करना।

**भाग-II**

**6.0 विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व:**

**6.1** केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम की दूरदृष्टि, अभियान एवं मूल्यों को आत्मसात कर प्रत्येक दिन को जियें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की दूरदृष्टि, अभियान एवं मूल्यों के साथ रहते हुए प्रत्येक दिन को जियें।

**विजन (दूरदृष्टि)**

कार्य–कुशल एवं विश्वसनीय ग्राहक केंद्रित सेवाओं के माध्यम से, रेल की बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने तथा इसके विस्तार के लिए, भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी का निर्माण करना।

**मिशन (अभियान)**

जैसा कि समर्पित एजेंसी की दूरदृष्टि को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए, डीएफसीसीआईएल का अभियान है–

1) समुचित तकनीक के साथ कोरीडोर का निर्माण करना जिससे कि अपने ग्राहकों को मालभाडा आवागमन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्षमता तथा कार्य–कुशलता की गारंटी के साथ विश्वसनीय, सुरक्षित तथा सस्ते विकल्प उपलब्ध कराना जो मालभाडा यातायात में भारतीय रेल की बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
2) पारिस्थितिक (ईकोलोजिकल) स्थिरता की दिशा में सरकार की पहल के समर्थन में, उपयोगकर्ताओं को अपने मालभाड़ा परिवहन की आवश्यकताओं के लिए, सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में रेलवे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

**मूल्य**

- उत्कृष्टता से कार्य करने का उत्साह एवं परिवर्तन के लिए उमंग
- सभी मामलों में ईमानदारी एवं निष्पक्षता
- व्यक्तियों की गरिमा एवं क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन

- जबावी कार्रवाई में शीघ्रता सुनिश्चित करना
- सीखने, रचनात्मक एवं मिलजुल कर कार्य करने की कला का पोषण
- केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम में निष्ठा एवं गौरव

**6.2 पेशेवर कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं गरिमा को प्राप्त करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास करते रहना :**

उत्कृष्टता, शायद पेशेवर व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, सभी को उनके व्यावसायिक कार्यों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं गरिमा प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहना चाहिए।

**6.3 पेशेवर दक्षता प्राप्त करना एवं बनाए रखना**: उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है, जो पेशेवर दक्षता प्राप्त करने एवं इसे बनाए रखने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। अतः, सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि दक्षता के उपयुक्त स्तरों के लिए मानक स्थापित करने में सहभागिता करते हुए उन मानकों को प्राप्त करने के लिए निरंतर कठोर प्रयास करते रहें ।

**6.4 कानूनों का अनुपालन:** सीपीएसई के निदेशक मंडल के सदस्य गण एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। उनको सीपीएसई के व्यवसाय से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों को अपनाते हुए उनका पालन करना चाहिए।

**6.5 उचित पेशेवर समीक्षा स्वीकार एवं प्रदान करना:** गुणवत्तापूर्ण पेशेवर कार्य, पेशेवर समीक्षा एवं प्रदत्त टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी उपयुक्त हो, प्रत्येक सदस्य को समान प्रकार की समीक्षा का अवलोकन करते हुए उसका उपयोग करना चाहिए, साथ ही उनके कार्यो की महत्वपूर्ण समीक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

**6.6 कामकाजी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्मिकों और संसाधनों का प्रबंधन**: संगठनात्मक लीडर यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि सहयोगी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल कामकाजी एवं व्यावसायिक वातावरण तैयार किया जाए ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम हों। निदेशक मंडल के सदस्य गण एवं वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उनके काम करने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

**6.7 ईमानदार रहें और किसी भी प्रलोभन से बचें:** निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार तथा अन्य संबंधो के माध्यम से, किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा कंपनी के लेनदेन से अन्य रूप में प्राप्त पारिश्रमिक के लिए लालच नहीं करेंगे। इसमें उपहार या महत्वपूर्ण मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं, जिनको समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है, जो संगठन के व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए या किसी एजेंसी इत्यादि को अनुबंध आदि प्रदान करने के लिए हों।

6.8 **कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करना**: केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम में आंतरिक संप्रेषण के प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं है तथा कार्यरत व्यक्ति सभी स्तरों पर स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान–प्रदान होता है, परन्तु विचार–विमर्श समाप्त होने के बाद तथा एक नीति पर आम सहमति स्थापित होने पर, सभी से नीति के अनुरूप कार्य करने तथा इसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। भले ही कुछ मामलों में कोई व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत न हो। कुछ मामलों में नीतियॉं, कार्रवाई हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं जबकि अन्य मामलों में वे कार्रवाई पर प्रतिबंध संबंधी एक प्रतीक के रूप में होती हैं। सभी को इस अंतर को पहचानने एवं इसकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए कि उन्हें इनके अनुपालन करने की क्यों आवश्यकता है।

6.9 **ऐसे तरीके से आचरण करें जो कंपनी की साख को दर्शाए:** सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी के निर्वाह के दौरान तथा ड्यूटी पर न रहने अर्थात दोनों परिस्थितियों में उनका आचरण इस प्रकार का हो जिसमें कि कंपनी की साख परिलक्षित होती हो। उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं व्यवहार को एक मौटे तौर पर किस प्रकार से संगठन के भीतर एवं जनता द्वारा समझा जाता है, उसका कंपनी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है।

6.10 **कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना:** वे सभी जिनको हम सेवा प्रदान करते हैं, हमारे ग्राहक हैं जिनके बिना कंपनी का व्यवसाय नहीं होगा, शेयरधारकों, जिनकी कंपनी के व्यवसाय में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, कर्मचारीगण जिनके स्वयं के हित व्यवसाय को आगे बढाने में हैं, वेंडर्स जो कंपनी को समय से डिलीवरी देने में सहायता करते हैं एवं सोसाइटी जिसके लिए कंपनी कार्य करने के लिए उत्तरदायी है– ये सभी कंपनी के हितधारक हैं। अतः ऐसे सभी लोगों को सदैव ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं।

6.11 **आंतरिक व्यापार की रोकथाम:** निदेशक मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी की प्रतिभूतियों के आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रिया एवं आचरण संहिता का अनुपालन करेंगे।

6.12 **व्यापार जोखिमों की पहचान कर कमी लाना एवं प्रबंधन:** कंपनी के जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा के पालन की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है कि वे कंपनी के परिचालन क्षेत्र में अथवा कार्यक्षेत्र के आस–पास व्यवसाय जोखिम की पहचान करें तथा कंपनी को ऐसे जोखिमों की प्रबंधन प्रक्रिया में सहायता करें जिससे कि कंपनी अपने विस्तृत व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

6.13 **कंपनी की सम्पत्तियों का रक्षा करना:** निदेशक मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की सम्पत्तियों का संरक्षण करेंगे जिसमें भौतिक परिसम्पत्तियां, सूचनाएं एवं बौद्धिक अधिकार सम्मिलित हैं तथा उनका उपयोग स्वयं के लाभ के लिए नहीं करेंगे।

**भाग- III**

**7.0 निदेशक मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान:**

**7.1 निदेशक मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में:** वे निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों जहां वे अपनी सेवाए प्रदान करते हैं, में सक्रिय रूप से सहभागिता करने का वचन देंगे।

**7.2 निदेशक मंडल के सदस्य गणों के रूप में:**

**7.2.1** अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में उनकी पद की स्थिति, अन्य व्यवसाय एवं अन्य आयोजनों / परिस्थितियों / शर्तों के संबंधों में किसी भी परिवर्तन के बारे में जिससे कि कंपनी के बोर्ड / निदेशक मंडल समिति के कर्तव्यों के निर्वाह करने संबंधी उनके कार्य करने की योग्यता में हस्तक्षेप हो सकता हो अथवा जैसे कि क्या लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन एवं शेयर बाजार के साथ हुए सूचीबद्ध संबंधी करार की स्वतंत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड के निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हों, के बारे में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को सूचना देने के लिए वचन देते हैं।

**7.2.2** वचन देते है कि, निदेशक मंडल के उदासीन सदस्य गणों के बिना किसी पूर्व अनुमोदन के, वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हितों के टकराव से बचेंगे। हितों का टकराव तब ही हो सकता है, जब उनके व्यक्तिगत हित जुड़े होते हैं, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव की स्थिति बन सकती है। उदाहरणस्वरूप हो सकने वाले मामलेः

**संबंधित पार्टी लेन-देन:** कंपनी / इसकी सहायक कंपनी, जिसमें उनके वित्तीय अथवा अन्य हित जुडें है (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जैसे एक परिवार के सदस्य के माध्यम से या रिश्तेदार अथवा अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन जिसके साथ वे जुडे हुए हैं) के साथ किसी भी प्रकार के लेन–देन प्रारंभ करना अथवा संबंध बनाना।

**बाह्य निदेशक पद लेना:** किसी ऐसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक का पद स्वीकार करना जिसका कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा हो।

**परामर्श सेवाएं / व्यवसाय / नियोजन:** किसी भी ऐसी गतिविधि (परामर्श सेवाएं प्रदान करना, व्यवसाय करना, नियोजन स्वीकार करना) में शामिल होना जिसमें कंपनी के लिए दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित कर्तव्यों / उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप की संभावना होती है। उन्हें किसी

भी अन्य प्रकार से किसी भी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदत्त कंपनी अथवा कंपनी के ग्राहक के साथ नहीं जुडना एवं न ही निवेश करना चाहिए।

**व्यक्तिगत लाभ हेतु आधिकारिक पद का उपयोग:** अपने आधिकारिक पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

**7.3 व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता का अनुपालन:**

**7.3.1 कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य गण एवं वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए बढावा देंगे:**

संस्था का भविष्य तकनीकी एवं नैतिक दोनों प्रकार की उत्कृष्टता पर निर्भर करता हैं। इस संहिता में व्यक्त सिद्धान्तों की अनुपालना केवल निदेशक मंडल के सदस्य गण एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को इनकी अनुपालना के लिए अन्य को प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करना चाहिए।

**7.3.2 इस संहिता के उल्लंघनों को संगठन के साथ असंगत संबद्धता के रूप में माना जाए:**

नैतिकता की संहिता का पेशेवर व्यक्तियों द्वारा अनुपालना सामान्यतः एवं व्यापक रूप में एक ऐच्छिक मामला है। यद्यपि, निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि इस संहिता का पालन नहीं किया जाता है, तब मामले की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी तथा निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को दोषी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

**7.3 विविध बिन्दु:**

**7.4.1 संहिता का निरंतर अद्यतन:**

यह संहिता कंपनी के कानून, दर्शन नीति, दूरदृष्टि, व्यावसायिक योजनाओं में किन्हीं भी परिवर्तनों के साथ अथवा अन्यथा जैसा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझने पर, निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन होने के अधीन है तथा इस प्रकार के सभी संशोधन/ परिवर्तन उनके उल्लेख किए जाने की तुरंत बाद की तारीख से प्रभावी होंगे।

**7.4.2 स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त किए जाएं:**

निदेशक मंडल अथवा वरिष्ठ प्रबंधन का कोई भी सदस्य आचरण संहिता के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए निदेशक (मानव संसाधन) / कंपनी सचिव / निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकता हैं।

# <u>निदेशक मंडल के सदस्यगणों  एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता  की पावती रसीद</u>

मैंने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यगणों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता  को  प्राप्त कर पढ़ लिया है

मैं उल्लिखित व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता में निहित मानकों एवं नीतियों को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि मेरे काम से संबंधित अतिरिक्त नीतियां या कानून हो सकते हैं। मैं उल्लिखित व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता के अनुपालन के लिए सहमत हूं।

यदि मेरे पास उल्लिखित व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता से संबंधित अर्थ / आशय या आवेदन के बारे में प्रश्न हैं, सीपीएसई की कोई नीति या मेरे कार्य पर लागू कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताएं है, तो मुझे ज्ञात है कि मैं सीपीएसई से संबंधित निदेशक या कंपनी सचिव से परामर्श कर सकता हूं, यह जानते हुए कि मेरे प्रश्नों अथवा रिपोर्ट के बारे में गोपनीयता रखी जाएगी।

आगे, मैं प्रत्येक वर्ष 31, मार्च समाप्ति से 30 दिनों के अंतर्गत कंपनी को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित अभिपुष्टि प्रदान करने का वचन देता हूं।

**हस्ताक्षर**

-----------------------------------

**नाम**

------------------------------------

**पदनाम**

----------------------------------

**स्थान: रोजगार संख्या**

----------------------------------

**टेलीफोन नं.**

------------------------------------

**दिनांक:**

## प्रतिज्ञान

(कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य गणों / वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष 30, अप्रैल तक वार्षिक आधार पर)

मैंने ............................................... (नाम) .................................. (पदनाम), निदेशक मंडल के सदस्य गणों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण तथा नैतिकता संहिता को पढकर समझ लिया हैं, एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक अभिपुष्टि करता हूं कि मैने इसका अनुपालन किया है तथा 31 मार्च, .................... के दौरान संहिता में निहित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया हैं।

**हस्ताक्षर**

------------------------------------

**नाम**

-------------------------------------

**पदनाम**

------------------------------------

**स्थान: रोजगार संख्या**

------------------------------------

**टेलीफोन नं.**

------------------------------------

**दिनांक:**